न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण कमांक निगरानी 1033–तीन/08 विरूद्ध आदेश दिनांक 13.5.08 पारित द्वारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा प्रकरण कमांक 30/पुर्नविलोकन/06–07.

———

1– सुशील जसवानी आत्मज श्री जय कुमार जसवानी
2– श्री राजन जसवानी आत्मज श्री जय कुमार जसवानी
3– श्रीमती मीनाक्षी जसवानी पत्नी श्री राजन जसवानी
4– श्रीमती ईश्वरीबाई पत्नी श्री छंगामल जसवानी
सभी निवासी वार्ड कमांक 6 शहडोल तहसील सोहागपुर
थाना व जिला शहडोल म.प्र.

——— आवेदकगण

विरूद्ध

1– लल्लू सिंह वल्द बंशधारी सिंह (मृतक) वारिसान –

अरूण कुमार पुत्र लल्लूसिंह
निवासी वार्ड क. 6 नेहरू कालोनी
जिला शहडोल म.प्र.

2– रमेश जगवानी वल्द हरसोमल जगवानी

3– जय कुमार जसवानी आत्मज स्व. ठाकूमल जसवानी

4– छंगामल जसवानी आत्मज स्व. ठाकूमल जसवानी (मृतक) वारिसान –

विजयकुमार पुत्र स्व. श्री छंगामल जसवानी
निवासी वार्ड क. 6 जिला शहडोल

5– म.प्र. शासन जरिये कलेक्टर, शहडोल म.प्र.

——— अनावेदकगण

———

श्री एस. पी. धाकड़, अधिवक्ता, आवेदकगण.
श्री बी.एन. त्यागी, अधिवक्ता, अनावेदक कमांक–5.

———

:: **आदेश** ::

(आज दिनांक २५ जुलाई, 2014 को पारित)

———

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 30/पुर्नविलोकन/06–07 में पारित आदेश दिनांक 13–5–08 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व

संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है ।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार हैं कि अनावेदक क्र. 1 मृतक लल्लूसिंह एवं एक अन्य द्वारा संहिता की धारा 165(6) (ख), 32 एवं 50 के तहत कलेक्टर, शहडोल को प्रस्तुत आवेदन के आधार पर कलेक्टर, शहडोल द्वारा प्रकरण स्वमेव निगरानी में पंजीबद्ध कर आवश्यक कार्यवाही उपरांत आदेश दिनांक 9–9–05 पारित किया जाकर प्रश्नाधीन भूमियों पर किए गए नामांतरण आदेशों को निरस्त करते हुए भूमि पूर्ववत नेहरू गृह निर्माण समिति मर्यादित शहडोल के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किए जाने के आदेश दिए गए । इस आदेश के विरूद्ध आवेदकों ने अधीनस्थ न्यायालय में निगरानी पेश की जिसमें अपर आयुक्त ने दिनांक 5–5–2006 को आदेश पारित करते हुए यह निष्कर्ष निकाले कि स्वप्रेरणा निगरानी कार्यवाही शिकायत के आधार पर प्रारंभ नहीं की जाती है तथा स्वप्रेरणा कार्यवाही निश्चित समयसीमा के अंदर प्रारंभ की जाना चाहिए इसके अतिरिक्त उन्होंने यह निष्कर्ष भी निकाला कि संहिता की धारा 165 (6) के प्रावधान के अनुसार राजपत्र दिनांक 2–12–1960 में आदिम जनजाति की अनुसूची में ''साहू'' जाति का नाम उल्लिखित नहीं होने से कलेक्टर से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है । उक्त आधार पर उनके द्वारा निगरानी स्वीकार करते हुए कलेक्टर, शहडोल द्वारा पारित आदेश 9–9–05 निरस्त किया गया ।

अपर आयुक्त के उक्त आदेश के विरूद्ध अनावेदक क्र. 1 मृतक लल्लू सिंह द्वारा अधीनस्थ न्याालय में पुनरावलोकन प्रस्तुत किया गया जिसमें अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश दिनांक 13–5–08 पारित करते हुए पुनरावलोकन स्वीकार किया एवं पूर्व में मूल प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 5–5–06 निरस्त किया साथ ही मूल निगरानी में भी दिनांक 13–5–08 को ही आदेश पारित करते हुए निगरानी निरस्त की एवं कलेक्टर का आदेश स्थिर रखा गया है । अपर आयुक्त के द्वारा पुनरावलोकन में पारित आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3– आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस पेश की गई है । लिखित बहस में आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि प्रश्नाधीन भूमि के मूल भूमिस्वामी नत्थू तेली थे । उक्त भूमि को जर्ये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र से क्रय किया गया । सभी आवेदकों ने एक समिति रजिस्टर्ड कराई तथा सभी

सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से सन् 1965 में क्रय किया है । उक्त विक्रयपत्र के आधार पर विधिवत तहसील न्यायालय के द्वारा नामांतरण नियमों का पालन करते हुए नामांतरण ादेश दिया गया है ।

यह तर्क दिया गया है कि अनावेदक द्वारा कलेक्टर के समक्ष 24 वर्ष पश्चात 2.12.04 को आवेदन दिया गया जिस पर से कलेक्टर द्वारा प्रकरण स्वमेव निगरानी में लिया गया माननोय उच्च न्यायालय द्वारा कई न्यायदृष्टांत अवधारित किए हैं कि संहिता की धारा 50 के तहत स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण की शक्तियां युक्तियुक्त समय में ही उपयोग की जा सकती हैं । न्यायदृष्टांत 2002 आर.एन. 452 में माननीय उच्च न्यायालय में यह अवधारित किया है कि 7 वर्ष पश्चात स्वप्रेरणा की शक्तियां प्रयोग नहीं की जा सकती हैं । इस कारण कलेक्टर का आदेश अधिकारिता रहित है ।

यह तर्क दिया गया है कि अधीनस्थ न्यायालयों का यह निष्कर्ष कि संहिता की धारा 165(6) के अनुसार क्रय भूमि का अंतरण आदिवासी व्यक्ति से गैर आदिवासी व्यक्ति के पक्ष में नहीं किया जा सकता, विधिसम्मत नहीं है । संहिता की धारा 165(6) के प्रावधान के अनुसार म.प्र. राजपत्र में दिनांक 2.12.1960 को प्रकाशित अधिसूचना आदिम जन जाति की अनुसूची में साहू जाति का नाम उल्लिखित नहीं होने से कलेक्टर की अनुमति आवश्यक नहीं है । इसी कारण अपर आयुक्त ने कलेक्टर के आदेश को निरस्त किया गया किंतु बाद में उन्हीं अपर आयुक्त द्वारा मूल निगरानी में पारित आदेश निरस्त करने में कानूनी भूल की है जो अपास्तनीय है ।

यहकि अनावेदकगण प्रकरण में कोई हित नहीं रखते हैं और ना ही वह कलेक्टश्र के समक्ष पक्षकार था । गलत तथ्यों के आधार पर उसे अपर आयुक्त के समक्ष रिव्यू आवेदन पेश किया है जबकि अपर आयुक्त का मूल आदेश बोलता हुआ आदेश है जिसे अनावेदकों द्वारा प्रस्तुत रिव्यू प्रकरण में अपास्त करने में उन्होंने भूल की है क्योंकि अनावेदकों द्वारा रिव्यू आवेदन में जो आधार लिया गया है वह प्रश्नाधीन भूमि पर लागू नहीं होता है क्योंकि पूर्व भूमिस्वामी न तो आदिवासी है और ना ही आदिवासी से गैर आदिवासी को विक्रय किया है । भूमिस्वामी साहू पिछड़े वर्ग का व्यक्ति की है इस कारण संहिता की धारा 165(6) लागू नहीं होती ।

यह तर्क दिया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक प्रकिया का पालन किया बिना आवेदकों को विधिवत सुनवाई व पक्ष समर्थन का मौका दिए बिना रिव्यू प्रकरण की

प्रचलनशीलता के संबंध में की गई आपत्ति का निराकरण किए बिना आदेश पारित किया है जो अधिकारिता रहित है । रिव्यू प्रकरण की आदेश पत्रिका दिनांक 18–7–07 में उभयपक्ष की अनुपस्थिति का उल्लेख है ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त को प्रकरण अदम पैरवी में निरस्त करना चाहिए था ।

यह तर्क दिया गया कि रिव्यू के जो तीन आधार हैं उनमें से एक भी अनावेदकों द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत रिव्यू आवेदन में नहीं है फिर भी उक्त रिव्यू आवेदन स्वीकार कर मूल निगरानी में पारित आदेश निरस्त करने में अपर आयुक्त ने त्रुटि की है । अपर आयुक्त ने मूल आदेश दिनांक 5–5–06 में संहिता की धारा 165(6) (ख) का प्रश्नाधीन भूमियों के संबंध में क्रय–विक्रय संबंधी तथ्यों का तथा व्यवहार प्रकिया संहिता के अंतर्गत बने नियमों पर विचार किया जाकर तथा प्रकरण में अभिलेख का अवलोकन करने के पश्चात गुणदोषों के आधार पर आदेश पारित किया है । यदि अनावेदकगण पीड़ित हैं तो वे सक्षम न्यायालय (सिविल कोर्ट) से स्वत्व का निर्धारण कराए जाने के लिए स्वतंत्र है । उक्त आधारों पर उनके द्वारा निगरानी स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है ।

4-- अनावेदक म.प्र. शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेशों को उचित बताते हुए निगरानी निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है ।

5-- आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता एवं अनावेदक शासन के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदक क्रमांक – 1 मृतक लल्लू सिंह एवं अनावेदक क्रमांक 2 रमेश जगवानी जिनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पुनरावलोकन प्रस्तुत किया गया है वे विचारण न्यायालय (कलेक्टर) में पक्षकार नहीं थे और ना ही उनका कोई हित विवादित भूमि में निहित है, ऐसी स्थिति में उन्हें अधीनस्थ न्यायालय में पुनरावलोकन पेश करने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं था । इस संबंध में न्यायदृष्टांत 2000 आर.एन. 97 अवलोकनीय है जिसमें यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि " भू–राजस्व संहिता, 1959 म.प्र – धारा – 50 व्यक्ति किसी भी निचले न्यायालय में पक्षकार नहीं विवादग्रस्त भूमि में हितबद्ध भी नहीं – इस धारा के अधीन पुनरीक्षण अर्जी फाइल नहीं कर सकता । अपर आयुक्त के अभिलेख से यह भी स्पष्ट है कि अनावेदक क्रमांक 1 एवं 2 द्वारा पुनरावलोकन प्रस्तुत करने हेतु अनुमति दिए जाने के संबंध में भी आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है । न्यायदृष्टांत 1986 आर.एन. 294 में यह अभिनिर्धारित किया गया है

कि – भू–राजस्व संहिता, 1959 म.प्र. – धारा 44(1) अपील का अधिकार – जो व्यक्ति विचारण न्यायालय में पक्षकार नहीं – वह अपील की अनुमति लिए बिना अपील प्रस्तुत नहीं कर सकता । '' उपरोक्त न्यायदृष्टांतों के प्रकाश में यह पाया जाता है कि अनावेदक कमांक 1 एवं 2 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत पुनरावलोकन आवेदन प्रचलन योग्य नहीं था । अपर आयुक्त ने इस विधिक स्थिति को अनदेखा किया है ।

6– अभिलेख के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अपर आयुक्त द्वारा मूल प्रकरण कमांक 06/निग./05–06 में दिनांक 5–5–2006 को जो आदेश पारित किया गया है वह प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों को ध्यान में रखकर पारित किया गया था उनका यह कहना कि स्वमेव निगरानी की कार्यवाही एक निश्चित समयसीमा के अंदर की जाना चाहिए तथा शिकायत के आधार पर स्वप्रेरणा निगरानी की कार्यवाही प्रारंभ नहीं की जा सकती, न्यायिक एवं विधिसम्मत है । इस संबंध में न्यायदृष्टांत 1998(1) म0प्र0 डब्लू0एन0 नोट 26 एवं I.L.R. (2011) M.P.1 (रनवीर सिंह मृतक वारिसान किशोरी सिंह एवं अन्य तथा म0प्र0 शासन) अवलोकनीय है । न्यायदृष्टांत 1998(1) म0प्र0 डब्लू0एन0 नोट 26 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक वर्ष की अवधि को, किसी प्रकरण को स्वमेव निगरानी में लेने हेतु युक्तियुक्त अवधि नहीं माना गया है । इसी प्रकार माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 की पूर्णपीठ द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालयों के अनेक न्यायदृष्टांतों का संदर्भ देते हुए I.L.R. (2011) M.P.1 (रनवीर सिंह मृतक वारिसान किशोरी सिंह एवं अन्य तथा म0प्र0 शासन) में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि '' भू–राजस्व संहिता, म0प्र0 (1959 का 20) धारा – 50 पुनरीक्षण संहिता की धारा 50 के अंतर्गत परिकल्पित पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा स्वप्रेरणा शक्तियों का प्रयोग, उसके अधीनस्थ किसी राजस्व अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाहियकों की अवैधता, अनौचित्यता तथा अनियमितता की जानकारी की तारीख से 180 दिन की अवधि के भीतर किया जा सकता है भले ही अचलसंपत्ति शासकीय भूमि हो अथवा उसमें कोई लोकहित हो । प्रकरण के तथ्यों एवं उपरोक्त उद्धरित न्यायदृष्टांतों के प्रकाश में कलेक्टर द्वारा लगभग 24 वर्ष पश्चात स्वमेव निगरानी की कार्यवाही करते हुए जो आलोच्य आदेश पारित किया गया है वह विधिसंगत नहीं ठहराया जा सकता । इसी प्रकार न्यायदृष्टांत 1989 आर.एन. 19 में माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि किसी व्यक्ति की शिकायत के आधार पर स्वमेव पुनरीक्षण में लेकर पूर्व के किसी आदेश को निरस्त नहीं किया जा सकता । अपर आयुक्त का यह निष्कर्ष भी उचित है कि वर्तमान प्रकरण में संहिता की धारा 165(6) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं क्योंकि म0प्र0 राजपत्र में दिनांक 02–12–1960 को प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार आदिम जनजाति

की सूची में '' साहू '' जाति का नाम उल्लिखित नहीं है इस कारण जिलाध्यक्ष की अनुमति की आवश्यकता नहीं है । दर्शित परिस्थिति में यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में अपर आयुक्त ने जो मूल आदेश दिनांक 5–5–2006 को पारित किया गया था वह उचित एवं न्यायिक था । विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि पुनरावलोकन का क्षेत्र सीमित होता है और अपवाद स्वरूप विशिष्ट परिस्थितियों में ही रिव्यू किया जाना न्यायोचित होता है, और जिन आधारों पर अपील या निगरानी स्वीकार हो सकती है वे पुनरावलोकन के आधार नहीं हो सकते । किसी भी मामले का पुनरावलोकन किये जाने की परिस्थितियों का उल्लेख संहिता की धारा 51 सहपठित आदेश 47 नियम 1 व्यवहार प्रकिया संहिता में किया गया है जिसके अनुसार किसी महत्वपूर्ण साक्ष्य का पता चलना जो तत्परता के पश्चात भी पूर्व में आदेश पारित करते समय ज्ञान में नहीं था, या कोई ऐसी त्रुटि या भूल जो अभिलेख से प्रकट हो या अन्य कोई उचित कारण । अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 5–5–06 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त आधारों में से एक भी आधार विद्यमान नहीं है । अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के पश्चात यह पाया जाता है कि अपर आयुक्त द्वारा मूल प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 5–5–06 में कोई विधिक या सारवान त्रुटि नहीं होते हुए भी उक्त आदेश को अक्षम व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत पुनरावलोकन प्रकरण में निरस्त कर न्यायिक एवं विधिक त्रुटि की गई है । इस कारण उनका आलोच्य आदेश स्थिर नहीं रखा जा सकता ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा अपर आयुक्त **द्वारा** प्रकरण कमांक 30/पुर्नविलोकन/06–07 में पारित आदेश दिनांक 13–5–08 अवैधानिक होने से निरस्त किया जाता है एवं उनके द्वारा प्रकरण कमांक 06/निग0/05–06 में पारित आदेश दिनांक 5–5–06 स्थिर रखा जाता है ।

(एम. के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर